कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

E-mail: nraigarh@ymail.com Website www.nagarnigamraigarh.com
Phone No.: 07762-222911 Fax No.: 07762-2229923

क्रमांक : 512/रा.वि./न.पा.नि./2018 रायगढ़ दिनांक 28/03/20

॥ सूचना ॥

नगर पालिक निगम रायगढ़ की परिषद के विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 27.03.2018 के प्रस्ताव क्रमांक 02 में वर्ष 2018-19 हेतु संपत्तिकर एवं अन्य करों का दर नगर निगम क्षेत्र में प्रभावशील किये जाने हेतु सर्वसम्मति से पारित किया गया है :-

करो का विवरण निम्नानुसार है :- **संपत्तिकर, समेकित कर एवं शिक्षा उपकर**

जोन क्रमांक 01- रेल्वे फाटक से सुभाष चौक, हटरी चौक से मुरारी होटल होते हुये लक्ष्मीपुर चौक, ढिमरापुर चौक, उर्दना रोड सीमा तक । रेल्वे स्टेशन से रानी बसंतमाला चौक, स्टेशन रोड गाँधी गंज, गाँधी प्रतिमा से रामनिवास टॉकीज चौक मालधक्का रोड । गाँधी प्रतिमा से श्याम टॉकीज के चारों तरफ, बूजी भवन रोड, सदर हटरी गुरूद्वारा रोड, नई सड़क । रामनिवास चौक से गोपी टॉकीज रोड, नया गंज, शहीद चौक, केलो पुल होते हेमु कॉलोनी चौक, चक्रधर नगर चौक एवं सरला बिरला से दुर्गा चौक से बोईरदादर चौक । श्रृंगार होटल से गौरीशंकर मंदिर रोड, न्यू मार्केट आग्रोहा भवन रोड, मोड़ा कॉलोनी से गोदरी चौक । गद्दी चौक से पैलेस रोड हटरी चौक से पुराना सदर बाजार रोड मुंशी गली गांजा चौक, रानी बसंतमाला चौक से सिविल लाईन सत्तीगुड़ी चौक, घड़ी चौक थाना रोड थाना के चारो तरफ किरोड़ीमल कॉलोनी, घड़ी चौक से लक्ष्मीपुर चौक । गाँधी प्रतिमा से महिला महाविद्यालय सड़क सेवाकुंज रोड हंडी चौक, गौशाला रोड चारो तरफ । सत्तीगुड़ी चौक से कामर्स कॉलेज रोड होते हुये बाईपास, ढिमरापुर चौक सी.एम.ओ. तिराहा भगवान पुर रोड से निगम सीमा तक । जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियाँ बहुमंजिला (फ्लेट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन ।

जोन क्रमांक 02:- बीड़पारा, सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली, पक्की खोली । चाँदनी चौक, सोनार पारा रोड सर्किट हाउस तक । हेमु कॉलोनी चौक से कब्रिस्तान तक, सर्किट हाउस से उर्दना रोड । शहीद चौक से जूना बड़पारा, चाँदनी चौक होते बस स्टैण्ड, जंजघर रोड, कोष्टापारा । एस.पी. बंगला से आठले घर होते दरोगापारा सड़क, सत्तीगुड़ी चौक से बैकुण्ठपुर रोड होते हुये दशरथ पान ठेला तक । रेल्वे क्रासिंग से कबीर चौक उड़ीसा रोड सीमा तक । अटल चौक से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुये रेल्वे क्रासिंग तक अटल चौक से उड़ीसा रोड बायपास कांशीराम चौक निगम सीमा तक । अटल चौक से छातामुड़ा रोड होते हुये सहदेवपाली रोड निगम सीमा तक । गोगा मंदिर से मिट्ठुमुड़ा दुर्गा चौक तक । दुर्गा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तथा दुर्गा चौक से कबीर चौक तक, विश्वासगढ़ चर्च रोड से लकड़ी टाल होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक । चक्रधर नगर रेल्वे क्रासिंग से अतरमुड़ा रोड टी.वी.टॉवर रोड पहाड़ मंदिर रोड, चक्रधर नगर से कसेरपारा होते हुये नूतन चौक तक, बोईरदादर चौक से विजयपुर रोड निगम सीमा तक । जोगीडीपा पुल से इंदिरा नगर होते रामपुर रोड तक । गौशाला चौक से बैकुण्ठपुर रामभांठा डिपो रोड होते पुल तक । डिग्री कॉलेज से टी.वी.टॉवर रोड होते नगर निगम सीमा तक । जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियाँ बहुमंजिला (फ्लेट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन ।

जोन क्रमांक 03 :- जोन क्रमांक 01 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 01 के सड़कों से मिलते हों ।

जोन क्रमांक 04 :- जोन क्रमांक 02 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 02 के सड़कों से मिलते हों ।

संपत्तिकर निर्धारण हेतु दर प्रति वर्गफीट

जोन क्रमांक	निर्मित भवन का दर प्रति वर्गफीट				भूमि का दर प्रति वर्गफीट	
	आवासीय			व्यवसायिक		
	पक्का	कच्चा	आंशिक पक्का	पक्का	आवासीय	व्यवसायिक
01	16.00	9.00	14.00	19.00	11.00	15.00
02	14.00	7.00	12.00	17.00	9.00	12.00
03	7.00	3.00	6.00	9.00	5.00	7.00
04	5.00	2.00	4.00	7.00	3.00	5.00
05	निगम सीमा के अंदर समस्त औद्योगिक भूमि एवं भवन का दर - भूमि 25.00 प्रति वर्गफीट, निर्मित भवन 40.00 प्रति वर्गफीट ।					

वार्षिक भाड़ा मूल्य पर कर की दर का निर्धारण :-

वार्षिक भाड़ा मूल्य	6001/-	से 20,000/-	तक	- 6 प्रतिशत
वार्षिक भाड़ा मूल्य	20,001/-	से 50,000/-	तक	- 8 प्रतिशत
वार्षिक भाड़ा मूल्य	50,001/-	से 80,000/-	तक	- 10 प्रतिशत
वार्षिक भाड़ा मूल्य	80,001/-	से 1,00,000/-	तक	- 12 प्रतिशत
वार्षिक भाड़ा मूल्य	1,00,001/-	से 1;50,000/-	तक	- 15 प्रतिशत
वार्षिक भाड़ा मूल्य	1,50,001/-	से 2,00,000/-	तक	- 18 प्रतिशत
वार्षिक भाड़ा मूल्य	2,00,001/-	से अधिक		- 20 प्रतिशत

शिक्षा उपकर :- प्रत्येक भूमि/भवनों का निर्धारण पश्चात संपत्तिकर की राशि में 5 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा ।

समेकित कर :- 1. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000 रू. तक 300.00 रू. 6001 से उपर 600.00 रू. की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा ।

2. शासकीय आवासीय भवन तथा ट्रस्ट (सार्वजनिक उपक्रमों के संपत्ति) पर जो संपत्तिकर से मुक्त है ऐसी भवनों पर समेकित कर 600.00 रू. प्रतिवर्ष उपभोगकर्ता द्वारा देय होगा ।

संपत्तिकर में छूट :-

1. न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रदत्त छूट ।
2. भवन के रखरखाव हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट ।
3. नया भवन निर्माण अनुमति दिनांक से 01 वर्ष तक संपत्तिकर से छूट ।
4. ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो रही हो तथा भवनों से संलग्न रिक्त भूमि (मार्जिनल ओपन स्पेश) वार्षिक भाड़ा मूल्य के गणना के प्रयोजन से मुक्त होगी ।
5. EWS मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी, समेकित कर एवं अन्य कर देय होगा ।
6. 500 वर्गफीट तक के कच्चा मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी समेकित कर एवं अन्य कर देय होगा ।
7. धारा 137 के तहत वर्ष 2018-19 का संपत्तिकर 31 जुलाई 2018 तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट, 31 अक्टूबर 2018 तक जमा करने पर 4 प्रतिशत छूट करदाताओं को मिलेगी । बिना छूट के 31 मार्च 2019 तक देय होगा । 31 मार्च पश्चात सरचार्ज वार्षिक 6 प्रतिशत की दर से देय होगा ।
8. चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति तक स्व.निर्धारण पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर संपत्तिकरदाता भवन स्वामी को **एक हजार रूपये शास्ति** अधिरोपित की जावेगी ।

CamScanner

3328
12468

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

संपत्तिकर के स्वनिर्धारण संबंधी विवरणी

(नियम 10 (1) देखिए)

वर्ष ....

1. संपत्ति के स्वामी का नाम (पिता / पति के नाम सहित एवं स्थायी पता दूरभाष नं. यदि हो) :- ....
2. संपत्ति कहां स्थित है का पूरा पता :- ....
3. निर्मित क्षेत्र (नियम 2 ज) :- ....
4. भवन पक्का है या कच्चा (नियम 4 (क)) :- ....
5. संपत्ति आवासीय है या (व्यावसायिक या औद्योगिक (नियम 4 - ख) :- ....
6. खुली भूमि का क्षेत्रफल, जो केवल (व्यावसायिक या औद्योगिक) आशय के लिए उपयोग में है (नियम 2 फ) :- ....
7. वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना के लिए नगर पालिका द्वारा अवधारित प्रति वर्गफूट वार्षिक दर जो प्रासंगिक हो (नियम 6-ग) :- ....
8. गणन किया गया वार्षिक भाड़ा मूल्य (नियम 9) :- ....
9. वार्षिक भाड़ा मूल्य पर देय संपत्तिकर (नियम 10) :- ....
10. जलकर (शासन द्वारा विहित न्यूनतम राशि + नगर पालिका द्वारा अवधारित संपत्तिकर के प्रतिशत की राशि) :- ....

टीप :- यदि भवन स्वामी जलकर का निर्धारित न्यूनतम दर अनुसार मासिक आधार पर भुगतान कर रहा है तब यहां केवल नगर पालिका द्वारा अवधारित संपत्तिकर के प्रतिशत अनुसार ही राशि अंकित की जाये।

11. सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाश कर व सामान्य अग्नि कर की समेकित राशि (शासन द्वारा विहित न्यूनतम राशि + नगर पालिका द्वारा अवधारित संपत्तिकर के प्रतिशत की रशि) :- ....
12. सरचार्ज की राशि यदि देय हो :- ....
13. नगर पालिक कोष में भुगतान की जा रही कुल राशि (9 + 10 + 11 + 12) का योग :- ....

टीप :-

(1) ऐसी संपत्ति पर जो भवन स्वामी के निवास हेतु उसके आधिपत्य में हो 50 प्रतिशत संपत्ति पर देय।

(2) विवरणी में संदर्भित नियमों के प्रांसगिक अंक अगले पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं।

(3) प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग विवरणी भेजी जावे।

....

संपत्ति के स्वामी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .... आत्मज .... निवासी ....
यह सत्यापित करता हूँ कि विवरणी में दी गई जानकारी रही है और यह कि मैंने जिस भवन / भूमि के संबंध में विवरणी दी है, उसका मैं स्वामी हूँ।

....

(भवन / भूमि स्वामी के हस्ताक्षर

CamScanner